

:: आदेश ::

प्रधान कार्यालय आदेशांक 15163/स्थापना/2022-23, दिनांक 20.07.2022 के द्वारा कार्य स्थल पर महिलाओं के लैगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 की धारा-4 के अन्तर्गत उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० में आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है।

उक्त समिति के सदस्य श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, उप महाप्रबन्धक के सेवा निवृत्त हो जाने एवं समिति के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील सं० 2482/2014 में दिनांक 12.05.2023 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में उ०प्र० शासन, के पत्रांक 741/60-3-2023 सी-1723848/23, महिला कल्याण अनुभाग-3, दिनांक 11.07.2023 द्वारा आन्तरिक परिवाद के गठन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिनियम 2013 की धारा-4 के अन्तर्गत उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० में अधोलिखित आन्तरिक परिवाद समिति का पुनर्गठन किया जाता है-

क्र.	नाम	पद	दूरभाष संख्या	ई-मेल आईडी
1	सर्वश्री / श्रीमती डा० श्रद्धा करन, महाप्रबन्धक	अध्यक्ष	9628746197	gma.upsgvb@gmail.com
2	सै० मेराज अहमद, वरिष्ठ प्रबन्धक(विधि)	सदस्य	9918550055	smlegal.upsgvb@gmail.com
3	अरविन्द कुमार शर्मा, वरिष्ठ प्रबन्धक	सदस्य	9415765673	arvindkraj@gmail.com
4	अल्का रानी, वैयक्तिक सहायक	सदस्य / संयोजक	6394242168	alkaldb11@gmail.com
5	विनीता जौहरी	सदस्य (N.G.O.)	9935626802	vineetajohri65@gmail.com


(शशि रंजन कुमार राव)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

आदेशांक- 13549 /स्थापना/आन्त०परि०पत्रा०/2023-24 दिनांक 23.08.23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आन्तरिक परिवाद समिति के सदस्यगण को।
2. श्रीमती विनीता जौहरी, फ्लैट नं० एम-2,37, चाणक्यपुरी, सेक्टर-14, इन्दिरानगर, लखनऊ-226016
3. समस्त कार्मिक, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त शाखा/वरिष्ठ/क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अनुभाग/नियन्त्रक/योजनाधिकारी, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय /प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
5. प्राचार्य, उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रशिक्षण, लखनऊ को इस आशय से कि आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिनियम-2013 एवं संगत नियमों के सम्बन्ध में महिला कार्मिकों को शिक्षित/जानकारी उपलब्ध करायी जाय।
6. महाप्रबन्धक(आई०टी०), उ०प्र०सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, को इस आशय से कि आन्तरिक परिवाद समिति/अधिनियम 2013 का विवरण बैंक वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जाय।
7. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।


प्रबन्ध निदेशक